



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०-224 / 2026

नरेन्द्र कुमार अवस्थी-----प्रति -----जमील अहमद

16-07-2026

पत्रावली निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थी नरेन्द्र कुमार अवस्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 3क समर्थित शपथ-पत्र 4ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि वह उपरोक्त मुकदमें में वादी है तथा उसका मुकदमा परिवाद नरेन्द्र कुमार अवस्थी प्रति जमील अहमद अर्न्तगत धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव ए0सी0जे0एम0 चतुर्थ उन्नाव में प्रचलित है परन्तु उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण उसके मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है जिस कारण उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया।

न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार वाद सं० 812/2024 नरेन्द्र कुमार अवस्थी बनाम जमील अहमद धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है, न्यायालय रिक्त है। ऐसी स्थिति में चतुर्थ ए0सी0जे0एम0 उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन उक्त पत्रावली को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किया जाता है। चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली वाद सं० 812/2024 नरेन्द्र कुमार अवस्थी बनाम जमील अहमद धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव को विधिनुसार निस्तारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-16.07.2026

अजय

(अनिल कुमार वर्मा-प्रथम)
[J.O. Code-UP 6552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।